2017/00397

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री हरिश कुमार परिहार पुत्र स्व. श्रीमती हेमी देवी द्वारा अशोक परिहार आशुलिपिक न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, भादरा जिला हनुमानगढ : ब ना म : सहायक लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार, बीकानेर प्रथम सूचना अपील संख्या 236/17 (अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई.एक्ट,2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

: निर्णय :

18.12.17

1. अपीलार्थी हाजिर नहीं। विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी गई।

2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 25.07.17 में वर्णित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.), बीकानेर से सूचना चाही गई थी। सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. सहायक लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार (भू.अ.), बीकानेर के विभागीय प्रतिनिधि ने जवाब पत्रांक 4492 दिनांक 06.11.17 में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2002 की पत्रावलियों से संबंधित सूचना चाही है, जो लगभग 15 वर्ष पुरानी होने से रेकर्ड में उपलब्ध नहीं हो रही है। रेकर्ड उपलब्ध होते ही अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवादी जावेगी।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू–अभिलेख), बीकानेर के धारण/नियंत्रण में हो तो वांछित सूचना नियत समयावधि में अपीलार्थी को दी जानी चाहिए थी।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू–अभिलेख), बीकानेर को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए नियमानुसार अपीलार्थी के प्रार्थना–पत्र का निस्तारण 15 दिवस के अंदर किया जा कर उसकी सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी को आवश्यक रूप से भिजवाई जावे।

6. निर्णय आज दिनांक 18.12.17 को लिखाया जा कर सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल गुप्ता)
प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर